

संकल्प

विषय:- श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नाकामयाब मशीनों/ स्क्रेप को कंडम घोषित करने हेतु गठित समिति में संशोधन के संबंध में।

श्रम संसाधन विभाग के स्वीकृतादेश सं०-2855 दिनांक-19.09.2016 के द्वारा श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नाकामयाब मशीनों/ स्क्रेप को कंडम घोषित करने एवं निलामी प्रक्रिया एम०एस०टी०सी० लिमिटेड, भारत सरकार के उपक्रम के माध्यम से ई-ऑक्सन द्वारा करने की स्वीकृति दी गई है।

2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नाकामयाब मशीन/ स्क्रेप को कंडम घोषित करने हेतु समिति निम्न प्रकार गठित है:-

- | | |
|---|--------------|
| (i) क्षेत्रीय उप निदेशक/ क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी | - अध्यक्ष |
| (ii) संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/ प्रभारी प्राचार्य | - सदस्य सचिव |
| (iii) निदेशक द्वारा नामित पदाधिकारी | - सदस्य |
| (iv) संबंधित प्रक्षेत्र के कारखाना निरीक्षक | - सदस्य |
| (v) उप प्राचार्य/ सहायक अधीक्षक/ मुख्य अनुदेशक अथवा वरीय अनुदेश | - सदस्य |

3. विदित हो कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1569 दिनांक-10.12.2025 द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक-45 के बाद एतद् द्वारा नया क्रमांक-46 में "युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग" को जोड़ते हुए अधिसूचित एवं नया विभाग सृजित/गठित किया गया है। निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना पूर्व में श्रम संसाधन विभाग के अधीन था परन्तु नये विभाग के गठन के उपरांत वर्तमान में यह युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत है।

4. नए विभाग के श्रृजन के फलस्वरूप श्रम संसाधन विभाग के स्वीकृतादेश सं०-2855 दिनांक-19.09.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए श्रम संसाधन विभाग के स्थान पर युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग परिवर्तित किया जाता है।

5. शेष अन्य कड़िकाएँ यथावत रहेंगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण के सूचनार्थ सरकारी राजपत्र में इस संकल्प को प्रकाशित किया जाय और सभी संबंधित को इसकी एक प्रति दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-टी-3/ क्रय निलामी (कंडम) 17/2015...../

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सी० डी० एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि अंक 200 अतिरिक्त प्रतियाँ अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

ह०/-

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-टी-3/ क्रय निलामी (कंडम) 17/2015...../

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-टी-3/ क्रय निलामी (कंडम) 17/2015...../

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-महाप्रबंधक, निबंधन, उत्पाद एवं मध्यनिषेद्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-टी-3/ क्रय निलामी (कंडम) 17/2015...../

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ विभागीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के आप्त सचिव/ सभी जिलाधिकारी/ निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/ सभी उप निदेशक प्रशिक्षण/ सभी सहायक निदेशक प्रशिक्षण (शिक्षु)/ क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी, पटना/ सहायक निदेशक (परीक्षा)/ सभी प्राचार्य/ प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला सहित)/ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सभी सहायक एवं लिपिकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-टी-3/ क्रय निलामी (कंडम) 17/2015...../ 469/

पटना, दिनांक 25.02.2026

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Dayal
25/2/26

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग,
बिहार, पटना।